



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225668
CG-DL-E-05032021-225668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 928]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942

No. 928]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 1002(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिलेमें NH965. के कि.मी. 226 से कि.मी.269.533 तक के भू-खण्ड के निर्माण चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2लेन/4लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब-डिवीजनल ऑफीसर हवेली, सब-डिवीजन पुणे को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सब-डिवीजनल ऑफीसर हवेली, सब-डिवीजन पुणे, इनका कार्यालय 7. निलगिरी बंगलो, अल्प बचत भवन के पिछे, पुणे 411001. में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH-965 के कि.मी. 226 से कि.मी. 269.533 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हवेली					
गांव का नाम: फुरसुंगी					
1	168	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0608000(हेक्टेयर)	0.0608000
2	169	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0992000(हेक्टेयर)	0.0992000
3	170	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0305000(हेक्टेयर)	0.0305000
4	175	निजी	एग्रीकल्चर	0.1273000(हेक्टेयर)	0.1273000
5	208	निजी	एग्रीकल्चर	0.1963000(हेक्टेयर)	0.1963000
गांव का नाम: उरुली-देवाची					
1	117Pai	निजी	एग्रीकल्चर	0.0174000(हेक्टेयर)	0.0174000
2	118Pai	निजी	एग्रीकल्चर	0.0335000(हेक्टेयर)	0.0335000
3	119Pai	निजी	एग्रीकल्चर	0.0478000(हेक्टेयर)	0.0478000
4	120Pai	निजी	एग्रीकल्चर	0.0204000(हेक्टेयर)	0.0204000
5	121Pai	निजी	एग्रीकल्चर	0.0310000(हेक्टेयर)	0.0310000
6	134	निजी	एग्रीकल्चर	0.0244000(हेक्टेयर)	0.0244000

7	136	निजी	एग्रीकल्चर	0.2706000(हेक्टेयर)	0.2706000
8	137	निजी	एग्रीकल्चर	0.1682000(हेक्टेयर)	0.1682000
9	45Pai	निजी	एग्रीकल्चर	0.0168000(हेक्टेयर)	0.0168000
गांव का नाम: वडकी					
1	1100	निजी	एग्रीकल्चर	0.0002000(हेक्टेयर)	0.0002000
2	1372	निजी	एग्रीकल्चर	0.0118000(हेक्टेयर)	0.0118000
3	979Pai	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.9951000(हेक्टेयर)	0.9951000
कुल				2.1513	2.1513

[फा. सं. NHAI/LA/PIU/Pune/Palkhi Marg/LA/2017/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 1002(E)—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-965 in the stretch of land from Km 226 to Km 269.533 the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer Haveli, Subdivision Pune in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the office of the Competent Authority, namely Sub-Divisional Officer Haveli, Sub-Division Pune, 7, Nilgiri Bungalow, Behind Alpa Bachat Bhavan, Pune 411001 .

SCHEDULE

Brief Description of the lands to be acquired with or without structures falling in the stretch of NH-965 from Km 226 to Km 269.533 in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: PUNE			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Haveli					
Village: Fursungi					
1	168	Government	Agriculture	0.0608000(Hectare)	0.0608000
2	169	Government	Agriculture	0.0992000(Hectare)	0.0992000
3	170	Government	Agriculture	0.0305000(Hectare)	0.0305000
4	175	Private	Agriculture	0.1273000(Hectare)	0.1273000
5	208	Private	Agriculture	0.1963000(Hectare)	0.1963000
Village: Uruli-dewachi					
1	117Pai	Private	Agriculture	0.0174000(Hectare)	0.0174000
2	118Pai	Private	Agriculture	0.0335000(Hectare)	0.0335000
3	119Pai	Private	Agriculture	0.0478000(Hectare)	0.0478000
4	120Pai	Private	Agriculture	0.0204000(Hectare)	0.0204000
5	121Pai	Private	Agriculture	0.0310000(Hectare)	0.0310000
6	134	Private	Agriculture	0.0244000(Hectare)	0.0244000
7	136	Private	Agriculture	0.2706000(Hectare)	0.2706000
8	137	Private	Agriculture	0.1682000(Hectare)	0.1682000
9	45Pai	Private	Agriculture	0.0168000(Hectare)	0.0168000
Village: Wadki					
1	1100	Private	Agriculture	0.0002000(Hectare)	0.0002000
2	1372	Private	Agriculture	0.0118000(Hectare)	0.0118000
3	979Pai	Government	Agriculture	0.9951000(Hectare)	0.9951000
Total				2.1513	2.1513

[F. No. NHAI/LA/PIU/Pune/Palkhi Marg/LA/2017/3A]

RAJESH GUPTA, Director